न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:— 6/18 निर्णय दिनांक:—02.02.2021

1 श्री हरिश पिता मोगा रोत जाति मीणा निवासी बावडी खेडा तहसील झोथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. श्री जवाहर पिता हुजा रोत जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री केशवलाल पिता मणिलाल रोत जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. श्री कारीलाल पिता जगजी रोत जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्री महिपाल पिता जवाहर रोत जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. श्री जयनारायण पिता जवाहर रोत जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6. श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92 ए व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठित धारा 212 जा. दी.

उपस्थित :— श्री श्रवण रावल वादी की ओर से

श्री विरेन्द्रसिंह चौहान प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं सह खातेदार कमला के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी भुमि आराजी मौजा बावडीखेडा में खाता संख्या 89, खसरा नम्बर 419/324 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.00 बीघा होकर स्थित है। वादी एवं सहखातेदार कमला का उपरोक्त भुमि पर कब्जा काश्त है वादी ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तान्तरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झंगडा करने को अमादा है तथा वादी की भुमि पर कब्जा अतिक्रमण एवं निर्माण करने धमकिया देते है। वादग्रस्त आराजी संख्या 419/324 को लेकर प्रतिवादीगण अभी कुछ दिनों से विवाद कर रहे है।

कमशः पेज 2 पर

वादी की भुमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकिया दी जाकर अभी कुछ दिन पूर्व वादी एवं सहखातेदार कमला की आराजी संख्या 419/324 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर नींव खोदी जाकर मकान निर्माण का प्रयास किये जाने वादी तथा अन्य सहखातेदार द्वारा प्रतिवादीगण को मकान निर्माण किये जाने पर प्रतिवादीगण को जान से खत्म करने की धमकिया देते है। वादी व अन्य सहखातेदार कमला का उपरोक्त भुमि पर कब्जा काश्त है वादी एवं अन्य सहखातेदार ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तांतरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झंगडा करने उतारू रहते है तथा वादी की भुमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने को अमादा है वादी द्वारा कार्यवाही करने का कहे जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण रोक दिया लेकिन धमकी दे रहे थे कि मौका पाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगे।

जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी व अन्य सह खातेदार कमला के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा बावडीखेडा में खाता संख्या 89, खसरा नम्बर 419/324 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.00 बीघा होकर स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी अवैध रूप से नींव खोदी गयी है जहां निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में वादी को कब्जे की काश्त की आराजी के उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे, न ही अपने मित्र एजेन्ट व मजदुरों से करावे। बवाई की जाने वाली फसल को नुकसान नहीं पहुचावे। फसल को काटकर चुरा न लेवे, पशुओं को नहीं खिला देवे। किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया जाता है तो उसे विध्वंस कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता ने जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावा व साक्ष्य बंद कर दी गई है।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2069–2072 की हाल जमाबंदी

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी एवं सह खातेदार कमला के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी भुमि आराजी मौजा बावडीखेडा में खाता संख्या 89, खसरा नम्बर 419/324 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.00 बीघा होकर स्थित है। वादी एवं सहखातेदार कमला का उपरोक्त भुमि पर कब्जा काश्त है वादी ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तान्तरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झंगडा करने को अमादा है तथा वादी की भुमि पर कब्जा अतिक्रमण एवं निर्माण करने धमकिया देते है।

क्रमशः पेज 3 पर

वादग्रस्त आराजी संख्या 419/324 को लेकर प्रतिवादीगण अभी कुछ दिनों से विवाद कर रहे है। वादी की भुमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकिया दी जाकर अभी कुछ दिन पूर्व वादी एवं सहखातेदार कमला की आराजी संख्या 419/324 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर नींव खोदी जाकर मकान निर्माण का प्रयास किये जाने वादी तथा अन्य सहखातेदार द्वारा प्रतिवादीगण को मकान निर्माण किये जाने पर प्रतिवादीगण को जान से खत्म करने की धमकिया देते है। वादी व अन्य सहखातेदार कमला का उपरोक्त भुमि पर कब्जा काश्त है वादी एवं अन्य सहखातेदार ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तांतरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झंगडा करने उतारू रहते है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज होकर मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है। ऐसे में वादी के पक्ष में डिक्री फमराया जाना आवश्यक है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा बावडीखेडा में खाता संख्या 89, खसरा नम्बर 419/324 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.00 बीघा भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी
उपखंड अधिकारी, सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री हरिश बनाम श्री जवाहर वगैरह

वाद बाबत:– स्थायी निषेधाज्ञा 188, 92 ए व 209 राज.टी. एक्ट व सपठित धारा 151 जा.दी

मुकदमा नम्बर:– 6/2018

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरी :– श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई व विरेन्द्रसिंह चौहान मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि:–

मौजा बावडीखेडा में खाता संख्या 89, खसरा नम्बर 419/324 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.00 बीघा भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 02.02.2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी . . .
ओहदा . . सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजेह सबुत		मेहनतनामा वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर		फिस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा